न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 387/2021

अनवान :

रणवीर पुत्र वीरबल जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. वीरबलराम पुत्र खेमाराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र वीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. किताबो पुत्री वीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
5. भतेरी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
6. दर्शना पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
7. आईसीआईसीआई शाखा शेरडा जरिये शाखा प्रबन्धक शेरडा ।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. उपपंजीयक भादरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 27.09.22

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं0 47/43 के खसरा सं0 102, 103, 108, 121, 125, 126, 78, 79, 95 कुल खसरा 9 की 22 130है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जो पहले वादी के दादा खेमाराम की खातेदारी हुआ करती थी। खेमाराम के देहान्त बाद प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 8 ता 10 को तर्क अंकित किया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रणवीर पुत्र बीरवल जाति कुम्हार निवासी बुढेर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम बुढेर संवत 2073–76 खाता संख्या 47/43 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बुढेर संवत 2045 प्रदर्श 2, राजीनामा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व राजीनामा प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वादी द्वारा पेश शपथ पत्र में बीरबलराम के तीन पुत्र रणवीर, बन्शीलाल व रामनिवास तथा तीन पुत्रियां कितावो, भतेरी व दर्शना के अलावा शपथ पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा बुढेर के खाता सं0 47/43 के खसरा सं0 102, 103, 108, 121, 125, 126, 78, 79, 95 कुल खसरा 9 की 22.130है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम अकेले की बजाए वादी रणवीर, प्रतिवादी स0 1 बीरबलराम, प्रतिवादी सं0 2 बन्शीलाल व प्रतिवादी स0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा

Scanned with CamScanner

बराबर त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं0 47/43 के खसरा सं0 102, 103, 108, 121, 125, 126, 78, 79, 95 कुल खसरा 9 की 22.130है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 वीरबलराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 वीरबलराम अकेले की बजाए वादी रणवीर, प्रतिवादी सं0 1 वीरबलराम, प्रतिवादी सं0 2 बन्शीलाल व प्रतिवादी सं0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner